possible to indicate any denite time for realisation of the demands in this case.

**Twenty top assessees of Central Excise**

3493. SHRI RAMSINGH RATHWA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) what are the names of the twenty top assessees whose Central excise dues are highest showing their confirmed demands and the disputed demands; and

(b) what are the details of the action taken/being for its recovery?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANIL SHASTRI) : (a) and (b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

**Applicability of Central Excise and Salt Act in the State of Mizoram**

3494. SHRI RAMSINGH RATHWA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government had filed a petition in Guwahati High Court for a declaration that the Central Excise and Salt Act, 1944 is applicable in the State of Mizoram; if so, what are the details thereof;

(b) what were the special circumstances for which Government had to file a declaration petition for applicability of a Central Act;

(c) whether there was any ambiguity or doubt about the applicability of the Act in the State; and

(d) if not, what were the reasons for filing the petition ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANIL SHASTRI) : (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

**डालमिया उद्योग समूह के परिसरों पर आय कर विभाग के अधिकारियों द्वारा डाले गए छापे**

3495. **श्री अनन्त राम जायसवाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा मार्च, 1990 में डालमिया उद्योग समूह के परिसरों पर छापे डाले गए थे; यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन छापों के साथ गुजरात हैवी केमिकल्स लिमिटेड, जो डालमिया समूह के साथ संयुक्त रूप से काम कर रही है, की भी तलाशी ली गई;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात हैवी केमिकल्स लिमिटेड में डालमिया समूह की करोड़ों रुपए की अघोषित धनराशि निवेशित है; और

(घ) क्या कर अपवंचकों के विरुद्ध कोई मुकदमे दायर किए गए हैं; यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है?

**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री)** : (क) जी हां, आयकर अधिनियम की धारा 132 के अधीन दिनांक 15 मार्च, 1990 को तथा उसके परवर्ती दिनों में श्री संजय डालमिया तथा उनसे सम्बन्धित कम्पनियों और व्यक्तियों के मामले में विविध परिसरों की तलाशियां ली गई थीं तथा उनका सर्वेक्षण किया गया था ।

इन तलाशियों के दौरान प्रथम दृष्टया लेखा-बाह्य परिसम्पत्तियां अभिगृहीत की गई हैं, जिनमें 9.58 करोड़ रुपए मूल्य की नकदी, जेवर-जवाहिरात शेयर के कागजात तथा अन्य मूल्यवान वस्तुएं, लेखा पुस्तिकाएं, अपराध आरोपणीय दस्तावेज शामिल हैं। जिन व्यक्तियों की तलाशियां ली गई थीं, उन्होंने आयकर अधिनियम की धारा 132(4) के अधीन 92 लाख रुपए की लेखा-बाह्य आय की घोषणा की है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) तलाशी तथा सर्वेक्षण के दौरान बरामद हुए अपराध आरोपणीय दस्तावेजों से यह पता चलता है कि अनेक कम्पनियों द्वारा गुजरात हैवी केमिकल्स लिमिटेड में काफी बड़ी मात्रा में निवेश किया गया है जो